

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी।

अनवान विनोद कुमार बनाम उग्रसैन आदि

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

वाद संख्या. 173./2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हो
-------------	------------------------------------	--

1.08.2025 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट सिंगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर व पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे चक 9 केएचआर के खाता सं0 81/18 की कुल 2.530 है0 आराजी में अप्रार्थीगण कोई भी अकृषि कार्य (निर्माण आदि) न करें। यह अस्थाई निषेधाज्ञा सरकारी रास्ता-खाला आदि पर लागू नहीं होगी। अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थीगण की तामिल जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाकर रसीदे पांच दिवस में पेश करें अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश स्वतः ही खारिज समझा जावे। अतः अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 29.08.2025 को पेश हो।

29/8/25

पत्रावली पेशी में की गई PO साहब बाहर पधारे है/अवकाश पर है/ अन्य कार्य में व्यस्त है होने के कारण पत्रावली दिनांक 29/8/25 को पेश हो।

8/9/25 श्री विनोद कुमार के प्रा.पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गयी प्रार्थना पर पेश हुए श्री विनोद कुमार ने निवेदन किया प्रार्थी का अप्रार्थीगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता प्रार्थना पर प्रार्थी खारिज किया जावे, प्रार्थना पर प्रार्थी स्वीकार किया जाता है प्रार्थना पर अन्तर्गत 212 RTA वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल पत्रावली है।